Secondary ... Secondary

(MDM) मध्याह्न भोजन योजना- (MDM) ③

योजना / से नामांकन, तथा उपस्थिति को बढ़ावा देने हेतु पोषकस्तरी बच्चों को जोड़ने के लिए यह योजना चलायी जा रही है।

सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा (NP/- NSPE) के बच्चों के लिए सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया।

सन 2001 में इस योजना द्वारा पका-पकाया भोजन शासकीय, अर्द्धशासकीय स्कूलों में प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए लगभग 300 कैलोरी ऊर्जा, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, निम्नतम 200 दिनों के लिए देने का निर्धारण किया गया। यह योजना को पुन: विस्तारित रूप से सन 2002 में पूरे शासकीय, अर्द्धशासकी, नीजी स्कूलों के बच्चों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) के तहत पूरे देश में लागू कर दिया गया।

सितम्बर 2004 में इस योजना को पुन: विस्तारित रूप देकर पकाने का खर्च 1 रुपया पर बच्चा के हिसाब से प्रत्येक स्कूल को दाल का खर्च, सब्जी, खाद्य तेल, चावल, अनाज मसाला, के लिए खर्च करने हेतु एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी गई। खाद्य पदार्थ जैसे वस्तुओं को पहुंचाने हेतु 50 पैसे /. क्विंटल तथा एक रुपये/क्विंटल क्रमश: नजदीक राज्यों के जिले तथा दूर राज्यों के जिलों के लिए यातायात खर्च के रूप में देने का प्रावधान बनाया गया है इस योजना को पुन: विस्तारित करके दो रूपया प्रति क्विंटल दूरी के हिसाब भोज्य पदार्थ हेतु विभिन्न सामग्रियों को पहुंचाने के खर्च को बढ़ा दिया गया।

यह योजना विभिन्न राज्यों में सूखा की स्थिति / बाढ़ की स्थिति होने पर ग्रीष्मावकाश में भी चलाये जाने के लिए स्वीकृत किया गया।

जुलाई 2006 में इस योजना को दुबारा ~~विस्तृत~~ विस्तृत रूप देकर भोजन खर्च में इजाफा 1.8 रु प्रतिविद्यार्थी

प्रत्येक विद्यालय के लिए तथा उसके 1150 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति स्कूल पुर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश को देने का प्रावधान बनाया गया। यह योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः विस्तारित करके 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया। भोजन बनाने हेतु विशेष कक्ष का निर्माण तथा भोज्य पदार्थ के सामग्री को भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। जिसमें केन्द्र द्वारा ₹ 60000 प्रति ईकाई के रूप में तथा रुपया 5000 प्रत्येक विद्यालय को देने का अधिसूचना बनाया गया।

(सुप्रीम कोर्ट का आदेश 28 Nov. 2006)

अक्टूबर 2007 में MDM जैसी योजना को विस्तारित रूप देकर प्राइमरी बच्चों बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपर प्राइमरी (6 से 8) में अध्ययनरत विद्यार्थी लगभग 3479 शैक्षिक पिछड़े विकासखण्ड में लागु किया गया जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को स्थायी रूप से 700 कैलोरी तथा 20 gram Protin दिये जाने का प्रावधान बनाया गया, यह पूरे भारतवर्ष में इस योजना को ~~सर्व~~ 01·04·2008 को सर्वसम्मति से लागू कर दिया गया। इस योजना को पुनः अप्रैल 2008 में पंजीकृत तथा अपंजीकृत मदरसा, मकतब तथा SSA (सर्वशिक्षा अभियान) से जोड़ दिया गया।

मध्याह्न भोजन के उद्देश्य-

① कक्षा एक से आठ तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा निजी संस्थान के साथ-2 EGS तथा AIE जैसे संस्थाओं में पोषक तत्व के स्तर को बढ़ावा देना

② दोषयुक्त समाज के पिछले वर्ग के बच्चे, कमजोर बच्चे को स्कूल में दाखीला दिलाकर तथा कक्षा-कक्ष के

(MDM)

क्रिया कलापों में भागीदारी ~~दिलाकर~~ दिलाना।

③ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जहाँ सूखा तथा बाढ़ जैसे क्षेत्रों के बच्चों को ग्रीष्मकालीन पोषकीय सहायता प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

* शिक्षा एक विनियोग के रूप में (Education as an Investment) →

जब धन को किसी काम में इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि भविष्य में उससे और अधिक धन प्राप्त हो तो उसे निवेश या विनियोग कहते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की धनोपार्जन की क्षमता में विकास होता है जिसका प्रयोग वह अपने भावी जीवन में करता है। इस प्रकार से शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में एक विनियोग है।

मनुष्य की शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का तात्पर्य केवल उस औपचारिक शिक्षा से है जिसका नियोजन राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। इसमें मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और सतत शिक्षा आती है।

वर्तमान में हमारे देश में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न है। इसके बाद माध्यमिक, विश्वविद्यालयी, प्रोफेशनल एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। इस शिक्षा की व्यवस्था में राज्य पूर्ण रूप से व्यय करते हैं। इनके द्वारा किये गये व्यय को शिक्षा पर व्यय माना जाता है।

शिक्षा पर व्यय और उसके प्रतिफल पर शिक्षा अर्थशास्त्रियों ने निम्न तथ्यों की खोज की है।

(1) शिक्षा पर किये गये व्यय से बालकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे- एक दूसरे से मिलने के अवसर प्राप्त होना, खेल के लिए अवसर प्राप्त होना आदि। यह शिक्षा व्यय का उपभोगी तत्व कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा पर किये गये व्यय का प्रतिफल मिलता है। इसलिए शिक्षा अपने में विनियोग है।

Scanned with CamScanner

② किसी भी व्यवसाय में अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम लिखे-पढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलता से कार्य करता है और अधिक धनोपार्जन करता है इस प्रकार व्यक्ति की शिक्षा पर जो कुछ भी व्यय होता है उसका उसे प्रतिफल मिलता है, जो व्यय की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए व्यक्ति की शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में विनियोग है।

③ उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नये विचारों एवं साधनों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें नये विचारों एवं साधनों को ग्रहण करने की शक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस दृष्टि से शिक्षा अपने में विनियोग है।

④ कृषि से सम्बंधित ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उस कृषक की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन करता है। जिसने इस आधुनिक कृषि सम्बंधी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार, वाणिज्य की उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज के वाणिज्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सफल हो रहा है। इसलिए शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में विनियोग है।

⑤ व्यक्ति की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय से व्यक्ति की स्वयं की आय प्रभावित होती है। उद्योगों में साधारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को कम वेतन मिलता है, डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को उनसे अधिक और अधिक समय तक धन व्यय कर इंजिनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनसे अधिक वेतन मिलता है इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय अपने में विनियोग है।

⑥ शिक्षा पर व्यय करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जो राष्ट्र, प्रोफेशनल, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा पर जितना अधिक व्यय करता है उसकी राष्ट्रीय आय उतनी ही अधिक होती है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा पर किये जाने वाला व्यय विनियोग है।

Scanned with CamScanner